

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक ए-73-36/2004/20-3

श्रीषाह, दिनांक 30-6-20

प्रति,

तयिम
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय:- आताक्षीय संस्था तन्त्राति विद्या मंदिर उत्तरपुर जिला उत्तरपुर म. 5. -

को ली. वी. स्त. ई /आई ली. स्त. ई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत।

=====

राज्य शासन द्वारा आताक्षीय संस्था तन्त्राति विद्या मंदिर उत्तरपुर - -

जिला उत्तरपुर म. 5. - - - - - को ली. वी. स्त. ई /आई ली. स्त. ई,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया
जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी है, उनका नाम प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जायेगा।
2. निम्नलिखित अनुसूची के आयोजित होने वाले कार्यक्रम एवं खेल, प्रतियोगिता तथा अन्य छात्र-विद्यार्थी की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास, भोजन सुविधा आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करायेंगे। इस को संस्था से प्रमाण पत्र लिखा जायेगा।
3. इस संस्थाओं के तंत्रालय में अनिश्चितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।


निरन्तर पर

Nihal Siddiqui
PUBLIC NOTARY

रा. नं. 1, ग. नं. 1, दि. 1

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सुव्यवस्था मिलने के उपरांत भी म. प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण सचिवालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का लक्ष्य-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा।
5. संस्था की प्रबंध कार्यकारी समिति में म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं तार्थिक भूमिका प्रदान करेंगे।
7. अन्तर्देशीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदेश संबंधी निम्न प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क पदा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालनों का जोषण नहीं किया जायेगा।
8. छात्र-छात्राओं को शताब्दों में लाने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री छुटी पाठ्यार के रूप में लेनी जा रही रहेगी। कितनी दुकान विशेष से रूप लेने की व्यवस्था नहीं रहेगी।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील जगिन इन्फ्रॉ की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इन संबंध में भारत सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
10. संस्था के छात्रों को उनके विनाश से विद्यालय तक लाने एवं वापिस विनाश तक लेने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वाहन वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन वाहनों को किसी भी स्थिति में सड़क परीक्षण के लिए नहीं भेजा जायेगा।

निर्देश- 243



11. निःशुल्क छात्रों के लिये तंत्र्या ठो रेम्य की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । कोई भी तंत्र्या निःशुल्क छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगी । इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो तंत्र्या का अनारक्षित प्रभाव-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही जी जा तरेगी ।
12. तंत्र्या के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा सामुदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्ही पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा तरेगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

§ २०२१० बगारे §
अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क०-२५-७३-३८ /२००७/२०-३

भोपाल, दिनांक ३०-६-२००७

प्रतिनिधि:-

1. आशुक्त, लोक शिक्षण तंत्र्यालनालय, म. प्र. भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भतरपुर म. प्र. - 1 - - - - -
3. प्राचार्य, आरक्षणीय शिक्षण संस्था भन्मति विद्या मंदिर भतरपुर -
जिला भतरपुर म. प्र. - 1 - - - - -
4. आर्डर कुं ।

की ओर संचालक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित ।

[Signature]
30.6.07

अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Veera A
PRINCIPAL
BANMATI VIDYA MANDIR
PUBLIC SCHOOL
Chhatrapur (M.P.)